



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

(A U.P. Government Undertaking)

SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065



सं: 5594 - मा०सं०प्र०-०२/जनिलि/2024-2-मा०सं०प्र०-०२/उ०नि०लि०/2003

दिनांक: 18 नवम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (विलय के उपरान्त) के निदेशक मण्डल की 5वीं बैठक जो दिनांक 18.09.2024 को सम्पन्न हुई के एजेण्डा आइटम संख्या 5.10 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पूर्णकालिक विकलांग (दिव्यांग) कार्मिकों एवं नेत्रहीन सेवकों को पुनरीक्षित वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

| क्रमांक | 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स लेवेल (वर्तमान दरें) | वर्तमान में अनुमन्य वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता की दर (रु० प्रतिमाह) | वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें (रुपये प्रतिमाह) |
|---------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | लेवेल-1 से लेवेल-5 तक (अपुनरीक्षित ग्रेड-पे रु० 1900, 2000, 2200, 2600 एवं 3000) | रु० 600.00 | रु० 800.00 |
| (2) | लेवेल-6 एवं अधिक (अपुनरीक्षित ग्रेड-पे रु० 4200 से अधिक) | रु० 750.00 | रु० 1000.00 |

- उक्त वाहन भत्ता की अनुमन्यता हेतु पूर्व निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।
- उपरोक्त वाहन भत्ता की पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव अर्थात् इस आदेश के निर्गतन की तिथि से प्रभावी होंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं: 5594 - मा०सं०प्र०-०२/जनिलि/2024, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
- मुख्य अभियन्ता(मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

क्रमशः 02.....



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

(A U.P. Government Undertaking)

SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065



::02::

5. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/1X660 पनकी/2X660 जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/मलावन (एटा)।
6. महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन), जल विद्युत स्कंध, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 12वां तल, शक्ति भवन विस्तार।
7. मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०)/(एम०पी०एस०), जल विद्युत स्कंध, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 12वां तल, शक्ति भवन विस्तार।
8. मुख्य अभियन्ता, प्रगति, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, एस०एल०डी०सी० परिसर, विद्युत सेवा आयोग भवन, तृतीय तल विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ 226010 को निगम की वेबसाइट www.uprvnl.org पर अपलोड करने हेतु।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता, जल विद्युत उत्पादन मण्डल, पिपरी/माताटीला/खारा।
11. अधीक्षण अभियन्ता, जानपद निर्माण मण्डल (जल विद्युत इकाई), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, 12वां तल शक्ति भवन विस्तार।
12. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि०(01/02/03/04/05/06)/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/रिफार्म/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/प्रशिक्षण/डाटाबेस/औ०सं०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (वित्त/लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
14. उप महाप्रबन्धक (वित्त/लेखा), उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
15. उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
16. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. लेखाधिकारी (आहरण एवं वितरण)/(वेतन एवं लेखा), जल विद्युत इकाई, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
18. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वि० एवं ले०)/(पेंशन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
19. कट फाइल।

आज्ञा से,

(देवेश कुमार विश्वकर्मा)

उप महाप्रबन्धक(मा०सं०-02)